

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2013—आषाढ़ 18, शक 1935

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. एफ-1 (बी) 102-03-बी-4-दो,—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-चार में, कॉलम (2) के अनुक्रमांक 4 से 10 तक के सामने कॉलम (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची—चार  
(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गृह (पुलिस) विभाग	4. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र)	संयुक्त संचालक (भौतिक शास्त्र)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.	1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य	-अध्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग -सदस्य	
				3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष -सदस्य	
				4. संचालक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला -सदस्य	
5. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र)	संयुक्त संचालक (रसायन शास्त्र)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.		1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य -अध्यक्ष	
				2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग -सदस्य	
				3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष -सदस्य	
				4. संचालक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला -सदस्य	
6. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	संयुक्त संचालक (जीव विज्ञान)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.		1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य -अध्यक्ष	
				2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग -सदस्य	
				3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष -सदस्य	
				4. निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला -सदस्य	
7. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.		1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य -अध्यक्ष	
				2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग -सदस्य	
				3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष -सदस्य	
				4. संचालक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला -सदस्य	
8. वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र)	वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.		1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य -अध्यक्ष	
				2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग -सदस्य	
				3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष -सदस्य	
				4. संचालक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला -सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र)	वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.	वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.	1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य -अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग -सदस्य 3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष -सदस्य 4. संचालक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला -सदस्य	
10. वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.	वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.	1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य -अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग -सदस्य 3. पुलिस महानिदेशक विभागाध्यक्ष -सदस्य 4. संचालक, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला -सदस्य	

No. 1(b) 102-2003-B-4-II.—In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Forensic Science Laboratory (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1993, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In Schedule IV, against serial number 4 to 10 of the column (2), in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-IV  
(See rule-14)

Name of Department	Name of Service or post from which Promotion is to be made	Name of Service or post to which Promotion is to be made	Experience for promotion	Names of members of the Departmental promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Home (Police) Department	4. Senior Scientific Officer (Physics)	Joint Director (Physics)	5 years experience on the post of Senior Scientific Officer.	1. Chairman of Madhya Pradesh Public Service Commission or a member nominated by him -Chairman	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Home Department <b>-Member</b>	
				3. Director General of Police Head of the Department- <b>Member</b>	
				4. Director, Forensic science Laboratory <b>-Member</b>	
	5. Senior Scientific Officer (Chemistry)	Joint Director (Chemistry)	5 years experience on the post of Senior Scientific Officer.	1. Chairman of Madhya Pradesh Public Service Commission or a member nominated by him <b>-Chairman</b>	
				2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Home Department <b>-Member</b>	
				3. Director General of Police Head of the Department- <b>Member</b>	
				4. Director, Forensic science Laboratory <b>-Member</b>	
	6. Senior Scientific Officer (Biology)	Joint Director (Biology)	5 years experience on the post of Senior Scientific Officer.	1. Chairman of Madhya Pradesh Public Service Commission or a member nominated by him <b>-Chairman</b>	
				2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Home Department <b>-Member</b>	
				3. Director General of Police Head of the Department- <b>Member</b>	
				4. Director, Forensic science Laboratory <b>-Member</b>	
	7. Senior Scientific Officer	Joint Director (Training)	5 years experience on the post of Senior Scientific Officer.	1. Chairman of Madhya Pradesh Public Service Commission or a member nominated by him <b>-Chairman</b>	
				2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Home Department <b>-Member</b>	
				3. Director General of Police Head of the Department- <b>Member</b>	
				4. Director, Forensic science Laboratory <b>-Member</b>	
	8. Scientific Officer (Physics)	Senior Scientific Officer (Physics)	5 years experience on the post of Scientific Officer.	1. Chairman of Madhya Pradesh Public Service Commission or a member nominated by him <b>-Chairman</b>	
				2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Home Department <b>-Member</b>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. Director General of Police Head of the Department- <b>Member</b>	
				4. Director, Forensic science Laboratory - <b>Member</b>	
9. Scientific Officer (Chemistry)	Senior Scientific Officer (Chemistry)	5 years experience on the post of Scientific Officer.		1. Chairman of Madhya Pradesh Public Service Commission or a member nominated by him - <b>Chairman</b>	
				2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Home Department - <b>Member</b>	
				3. Director General of Police Head of the Department- <b>Member</b>	
				4. Director, Forensic science Laboratory - <b>Member</b>	
10. Scientific Officer (Biology)	Senior Scientific Officer (Biology)	5 years experience on the post of Scientific Officer.		1. Chairman of Madhya Pradesh Public Service Commission or a member nominated by him - <b>Chairman</b>	
				2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Home Department - <b>Member</b>	
				3. Director General of Police Head of the Department- <b>Member</b>	
				4. Director, Forensic science Laboratory - <b>Member</b>	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय शर्मा, उपसचिव.